राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3862/2018

मुकेश कुमार मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.09.2018
आदेश की दिनांक : 24.07.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सी.पी.शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 12.10.2017 एवं 18.05.2018 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावें कि नवीन अंतिम वरिष्ठता सूची लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय के पद की वर्ष 2012–13 के विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.03.2014 एवं 08.09.2014 की पालना में जारी की जावे। पदोन्नति सूची दिनांक 14.08.2018 को भी अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम की रिव्यू डीपीसी आयोजित करने हेतु निर्देश दिए जावें, जिसमें अपीलार्थी के नाम पर रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध अपीलार्थी के नाम पर उक्त पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे। साथ ही समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा लेखाकार की 413 पद एवं कनिष्ठ

लेखाकार के 961 रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञापन जारी किया गया। आरपीएससी द्वारा आदेश दिनांक 11.07.2013 के द्वारा लेखाकार का परिणाम जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 12 पर मेरिट क्रमांक 391ए अंकित की गई। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आरपीएससी द्वारा आदेश दिनांक 05.08.2013 के द्वारा सूचित हुआ कि अपीलार्थी का अस्थाई चयन निरस्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने रिट याचिका संख्या 15543/2013 माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 11.12.2013 के द्वारा खारिज कर दी गई, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ डी.बी.सिविल स्पेशल अपील (रिट) संख्या 357/2014 प्रस्तुत की, जिसे आदेश दिनांक 27.03.2014 के द्वारा स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया कि लेखाकार के पद पर नियुक्ति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जावे और 4 सप्ताह की अवधि में आदेश जारी किए जावें। माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिए कि काल्पनिक लाभ सहित वरिष्ठता एवं अन्य लाभ अपीलार्थी प्राप्त करने का हकदार होगा। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा लेखाकार के पद पर अपीलार्थी की नियुक्ति दी गई और उसका नाम वरिष्ठता में क्रम संख्या 391ए पर आदेश दिनांक 02.09.2014 के द्वारा जोड़ा गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.03.2014 एवं 08.09.2014 पालना में अपीलार्थी को वर्ष 2012–13 के विरूद्ध लेखाकार/सहायक लेखाकार अधिकारी ग्रेड द्वितीय के पद पर अस्थाई वरिष्ठता सूची दिनांक 06.04.2015 में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 1087 पर अंकित किया गया और आपत्तियां प्राप्त होने उपरांत विभाग द्वारा आदेश दिनांक 05.05.2015 के द्वारा अस्थाई वरिष्ठता सूची दिनांक 06.04.2015 को अंतिम वरिष्ठता सूची घोषित कर दिया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पुनः अस्थाई वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2016 को जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 1087 पर अंकित किया गया, जिसे आदेश दिनांक 27.04.2016 के द्वारा अंतिम वरिष्ठता सूची घोषित की गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पुनः अस्थाई वरिष्ठता सूची दिनांक 06.04.2017 को जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 581 पर दर्शाया गया और विभाग द्वारा अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 12.10.2017 को जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 1555 पर दर्शाया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने कई बार आपत्ति दर्ज की, जिसके चलते प्रत्यर्थी विभाग ने अस्थाई वरिष्ठता सूची दिनांक 18.05.2018 को जारी की और अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 03.04.2018 को जारी की। उनका

कथन है कि अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 12.10.2017 एवं 18.05.2018 माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.03.2014 एवं 08.09.2014 के पूर्ण रूप से उल्लंघन में जारी की गई, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 21073/2018 प्रस्तुत की और माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 19.09.2018 को आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी को अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया तथा उक्त पालना में अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 12.10.2017 एवं 18.05.2018 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावें कि नवीन अंतिम वरिष्ठता सूची लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय के पद की वर्ष 2012–13 के विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.03.2014 एवं 08.09.2014 की पालना में जारी की जावे। पदोन्नति सूची दिनांक 14.08.2018 को भी अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम की रिव्यू डीपीसी आयोजित करने हेतु निर्देश दिए जावें, जिसमें अपीलार्थी के नाम पर रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध अपीलार्थी के नाम पर उक्त पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे। साथ ही समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि विभाग द्वारा दिनांक 06.04.2017 को अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिस पर आपत्तियों के संबंध में विभाग द्वारा दिनांक 11.05.2017 को कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन चाहा गया और कार्मिक विभाग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार संशोधन कर दिनांक 12.10.2017 को अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई। उक्त सूची के अनुसार ही दिनांक 01.04.2018 की स्थिति में दिनांक 18.05.2018 को अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई। आपत्तियां दर्ज होने पर सूची जारी करने से पूर्व परीक्षण किया गया। तदुपरान्त अंतिम वरिष्ठता सूची वित्त विभाग को भेजी गई और समीक्षा उपरांत पत्रावली बिना किसी आक्षेप के लौटा दी गई। अपीलार्थी की वरिष्ठता व अन्य परिलाभों के विषय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियमानुसार आदेश पारित किया गया, जिस पर विभाग द्वारा अपीलार्थी की वरिष्ठता व अन्य परिलाभ नियमानुसार प्रदान किए गए एवं माननीय न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में विभाग द्वारा अपीलार्थी की आरपीएससी की मेरिट यथावत रखी गई है और मेरिट के आधार पर अपीलार्थी से कनिष्ठ किसी भी

कार्मिक को न तो वरिष्ठता सूची में ऊपर रखा गया और न ही पदोन्नति दी गई और जिन नामों का उल्लेख अपील में किया है, वे मेरिट में अपीलार्थी से ऊपर हैं। सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किसी वर्ष विशेष से न होकर विज्ञापन जारी होने तक रिक्त पदों के लिए भर्ती की जाती है। विभाग द्वारा वरिष्ठता सूची एवं पदोन्नति आदेश नियमान्तर्गत जारी किए गए हैं। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि नियमानुसार विभाग को प्रत्येक वर्ष की एक अप्रेल को रिक्तियों को सही निर्धारण करना चाहिए और निर्धारण उपरांत ही विज्ञप्ति के आधार पर रिक्त पदों को भरना चाहिए और आयोग को अभ्यर्थियों की नियुक्ति मेरिट एवं वरिष्ठता आधार पर ही की जानी चाहिए। अपीलार्थी दिनांक 06.09.2011 की विज्ञप्ति के आधार पर वर्ष 2012–13 के विरूद्ध वरिष्ठता प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने माननीय शीर्षस्थ न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ यूपी व अन्य बनाम रामगोपाल शुक्ला एआईआर 1981 (एससी) पेज 1041, जनार्धन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य एआईआर 1983 (एससी) पेज 769 आदि मामलों में रिक्तियों/वरिष्ठता का सही निर्धारण के संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुमन बाई व अन्य बनाम राजस्थान राज्य एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 4808/2001 2009 (1) डब्ल्यूएलसी पेज 381 पैरा 5 आदि मामले में उक्त संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित किया और इस प्रकार अपीलार्थी भी नियमानुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में उचित वरिष्ठता वर्ष 2012–13 के विरूद्ध प्राप्त करने का हकदार है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा लेखाकार की 413 पद एवं कनिष्ठ लेखाकार के 961 रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञापन जारी किया गया। आरपीएससी द्वारा आदेश दिनांक 11.07.2013 के द्वारा लेखाकार का परिणाम जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 12 पर मेरिट क्रमांक 391ए अंकित की गई। परंतु आरपीएससी द्वारा

अपीलार्थी का अस्थाई चयन निरस्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ डी.बी.सिविल स्पेशल अपील (रिट) संख्या 357/2014 प्रस्तुत की गई और निर्णय दिनांक 27.03.2014 के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया कि लेखाकार के पद पर नियुक्ति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार करते हुए काल्पनिक लाभ सहित वरिष्ठता एवं अन्य लाभ दिए जावे और 4 सप्ताह की अवधि में आदेश जारी किए जावें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा लेखाकार के पद पर अपीलार्थी की नियुक्ति दी गई और उसका नाम वरिष्ठता में क्रम संख्या 391ए पर आदेश दिनांक 02.09.2014 के द्वारा जोड़ा गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.03.2014 एवं 08.09.2014 पालना में अपीलार्थी को वर्ष 2012–13 के विरूद्ध लेखाकार/सहायक लेखाकार अधिकारी ग्रेड द्वितीय के पद पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अस्थाई वरिष्ठता सूची दिनांक 06.04.2017 को जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 581 पर दर्शाया गया और विभाग द्वारा अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 12.10.2017 को जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 1555 पर दर्शाया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने कई बार आपत्ति दर्ज की। जहां तक अपीलार्थी को वर्ष 2012–13 के विरूद्ध लेखाकार/सहायक लेखाकार ग्रेड द्वितीय के पद की वरिष्ठता सूची में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.03.2014 एवं 08.09.2014 के आदेशानुसार उचित स्थान पर वरिष्ठता नहीं दर्शाने का प्रश्न है, हमारे मत में अपीलार्थी की नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से परिणाम घोषित उपरांत हुई है। आरपीएससी द्वारा जो परिणाम घोषित होता है, उसमें वरिष्ठता क्रमांक भी निर्धारित की जाती है। अभ्यर्थियों के आवंटित संस्थानों/कार्यालयों में कार्यग्रहण तिथि से वरिष्ठता निर्धारित नहीं की जाती है। जहां तक अपीलार्थी का संबंध है, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर के निर्णय दिनांक 27.03.2014 में प्रत्यर्थी विभाग को 4 सप्ताह की अवधि में अपीलार्थी की नियुक्ति पर विचार करने एवं काल्पनिक लाभ जिसमें मेरिट के आधार पर वरिष्ठता एवं अन्य लाभ दिए जाने के आदेश दिए गए, जिसकी पालना में विभाग द्वारा अपीलार्थी को वरिष्ठता को छोड़कर शेष सभी लाभ प्रदान कर दिए गए, परंतु वरिष्ठता सही निर्धारित नहीं की गई। हमारे मत में उक्त निर्णयानुसार जब अपीलार्थी की अभ्यर्थिता पर आरपीएससी द्वारा विचार किया गया है तो आरपीएससी द्वारा जारी परिणाम में अपीलार्थी की वरिष्ठता

भी निर्धारित की गई। इस प्रकार अपीलार्थी की वरिष्ठता आरपीएससी द्वारा जारी परिणाम में जो निर्धारित की गई है वही वरिष्ठता मानी जावेगी। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा आलोच्य वरिष्ठता सूची दिनांक 12.10.2017, 18.05.2018 एवं पदोन्नति सूची दिनांक 14.08.2018 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के खण्डपीठ निर्णय दिनांक 27.03.2014 को ध्यान में रखते हुए तथा आरपीएससी द्वारा लेखाकार/सहायक लेखाकार ग्रेड द्वितीय का जो वरिष्ठता निर्धारित परिणाम जारी किया गया है, अपीलार्थी की उसी वरिष्ठता क्रमांक को मानते हुए वर्ष 2012–13 के विरूद्ध लेखाकार/सहायक लेखाकार ग्रेड द्वितीय की जारी वरिष्ठता सूची में दर्शाया जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य